न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्षः डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 618–दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 40/2004–05 निगरानी

हरनाम पुत्र खेमा गडरिया
निवासी ग्राम नैनागिरि, तहसील नरवर,
जिला शिवपुरी ——— आवेदक

विरूद्ध

1. हरगोविन्द
2. दयाराम
3. भागीरथ
4. हरचरण पुत्रगण हरीराम गडरिया
   निवासीगण ग्राम नैनागिरि,
   तहसील नरवर, जिला शिवपुरी

——— अनावेदकगण

———

श्री एम0आर0 गुप्ता, अभिभाषक – आवेदक

———

:: आदेश ::
(दिनांक 6 फरवरी 2016 को पारित)

———

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 31–12–05 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक हरनाम ने एक आवेदन तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया कि ग्राम नैनागिरी तहसील नरवर स्थित भूमि सर्वे कमांक 658 रकबा 0.14 हे0, 659 रकबा 0.20 हे0, 660 रकबा 0.16 हे0 661 रकवा 0.15 हे0, 662 रकबा 0.64 हे0 एवं 683 रकबा 1.35 कुल

किता 6 कुल रकबा 2.64 हे0 भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण की है जिसमें आवेदक का 1/3 हिस्सा होता है जिसका बटवारा किया जाये। तहसीलदार नरवर ने प्रकरण कमांक 4/98–99/अ–27 दर्ज कर पारित आदेश दिनांक 4–1–99 के द्वारा उभय पक्ष के मध्य बटवारा किया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28–10–04 को अपील स्वीकार जाकर निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की गई। अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त को निगरानी प्रस्तुत की गई जिसे अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 31–12–05 के द्वारा निगरानी अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि तहसील न्यायालय ने विधिवत सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाकर बटवारा नियमों का पालन करते हुये आदेश पारित किया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त करने में त्रुटि की है तथा अपर अपर आयुक्त द्वारा उसे स्थिर रखने में गलती की है। यह भी तर्क दिया कि बटवारा प्रकरण में तहसील न्यायालय ने सुविधा तथा उनके हिस्से के अनुसार उभय पक्षों को उनकी लगी भूमि के पास वाली भूमि ही बटवारे में दी गई है। उभय पक्षों की सुविधा अनुसार बटवारा किया है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय द्वारा किये विधिसंगत बटवारे को निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाये।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। तहसील न्यायालय के अभिलेख में संलग्न अनावेदकों को जारी सूचना पत्र दिनांक 27–10–98 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी अनावेदकों को एक ही सूचना पत्र जारी किया गया है। तामीली नियमों में सूचना पत्र व्यक्तिगत जारी किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अनावेदकों को जारी एक ही सूचना पत्र की प्राप्ति ब्रजलाल द्वारा की गई है जो अनावेदकों में पक्षकार नहीं है। अपर आयुक्त न्यायालय में अनावेदकों की ओर से प्रस्तुत मतदाता सूची, परिचय पत्र एवं शपथ पत्रों के आधार पर ब्रजलाल को अनावेदकों के परिवार का सदस्य भी नहीं पाया है। अनावेदकों को विधिवत तामील नहीं की गई है फिर पर विचारण न्यायालय ने अनावेदकों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर बंटवारा आदेश पारित किया है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि संहिता की धारा 178 में बंटवारा के संबंध में दी गई प्रकिया का पालन कर, उभय पक्षों की उपस्थित में उनको सुनवाई का मौका देकर गुण–दोषों पर प्रकरण का निराकरण करें। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किये गये आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी वैधानिक आदेश को स्थिर रखने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की है। अतः अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश दिनांक 31–12–2005 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल ,मध्यप्रदेश